न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा उन्नाव

UPUN120000751999

उपस्थित– हिमानी गौतम – (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

फौजदारी वाद सं0–100276/1999

गोकरन बनाम बराती

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उभयपक्षों के मध्य जनपद उन्नाव न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केन्द्र में सुलह समझौता हो चुका है।

जनपद उन्नाव न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केन्द्र की आख्या कागज सं0–97क दिनांकित 13.05.2026 पत्रावली पर संलग्न है। जिसमें पक्षों के मध्य यह करार हुआ है कि प्रतिवाद के सदरी दरवाजे पर जो छप्पर रखा है उसको प्रतिवादीगण हटाकर छप्पर की जगह 9 इंच अंदर की तरफ कम करके सदरी दरवाजे पर टीन सेट स्थापित करेंगे एवं प्रतिवादीगण दक्षिण की तरफ पर्दी हटा लेंगे। प्रतिवादीगण जो सदरी दरवाजे पर टीनसेट रखेंगे। उसके अन्दर की सहन जमीन पर प्रतिवादीगण का पूर्ण स्वामित्व रहेगा। दक्षिण की तरफ हटी पर्दी को प्रतिवादीगण पुनः निर्माण नहीं करेंगे। एवं वादीगण प्रतिवादीगण का सहन पर पानी नहीं निकालेंगे तथा भविष्य में वादीगण एवं प्रतिवादीगण कोई हस्ताक्षेप नहीं करेंगे। पत्रावली पर दर्शित महिलाओं के बाबत कोई विवाद शेष नही है। क्यों कि वह पारिवारिक हैं।

उक्त सुलहनामा में उल्लेखित शर्तों के आधार पर पत्रावली निस्तारित की जाती है। मध्यस्थना केन्द्र उन्नाव के सुलहनामा कागज सं0–97क दिनांकित 13.05.2026 इस निर्णय का अंश होगा।

दिनांकः–22.05.2026

(हिमानी गौतम)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।
आई.डी.–UP4850